[श्री लहरी सिंह]

जाओ। पंजाब में फलां, अन्दर जाओ। मेरे जिले में रोहतक वालों के बेचारों के घरों में बच्चे भूखों मर रहे हैं। वह कहते हैं कि चौधरी साहब, कांस्टीट्यूशन क्या हो गया, कुछ तो करो। मैं ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं होती। वह तो कमजोर पर हथियार चलाने वाले हैं, मजबत आदमियों पर हथियार नहीं चलाना चहाते है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अर्ज करूंगा कि जिस गवर्नमेंट में इनीशियेटिव न हो, जो गवर्नमेंट बोल्ड न हो, हिम्मत वाली न हो, वह गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं है। एक लाला के पास बन्दूक तलवार दे दी। वह दुश्मन को मारने चले। लेकिन वह क्या तलवार चलायेंगे? तलवार के लिए दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए इनीशियेटिव भी चाहिए। और यह ज्योतिषी वगैरह कब तक काम करेंगे? इन्हीं ज्योतिषियों ने बलदेव सिंह को खत्म कर दिया, गोपी चन्द को खत्म कर दिया। इन्हीं हवेली राम ने उनको खत्म कर दिया। तो कब तक ज्योतिषियों के सहारे चलोगे? अरे, स्ट्रांग हो जाओ। मैं अधिक न कहते हुए इतना ही उम्मीद करता हूं कि पंजाब को कम से कम बचाओ। इस कमीशन को अभी वापिस बुला लो। कोई झगड़ा नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। जो डिफरेंस होगा बैठ कर तय कर लेंगे। क्यों कमीशन बनाओ, उसको तनख्वाह दो? क्यों हमारे सिर फुड़वाओ? क्यों जाति बिरादरी का नाश करवाओ। हम पीस ऐंड आर्डर चाहते हैं। वह मजबूत कौम जो बोर्डर पर बैठी हुई है उसको तंग मत करो। उसकी मदद करो, उसकी खिदमत करो। वह बीच में नहीं बैठे हुए हैं, वह मध्य प्रदेश में नहीं बैठे हैं। वह बोर्डर पर बैठे हुए हैं। वह पाकिस्तान का मुकाबिला करने के लिए तैयार हैं, वह चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम तो सारे पंजाबी हैं इस बात के लिए। लेकिन हमें दूर ले जा रहे हो, हमें बहुत दूर ले जा रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप कमीशन को वापस बुला लो और प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बुलायें, समझायें, बहुत सी बातें हल हो जायेंगी।

18.08 hrs.

RISK GUARANTEE AGREEMENT WITH USA*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं बहस उठाना चाहता हूं अमरीका के साथ जोखम के सम्बन्ध में जो करार किया गया है उसको लेकर। यह सवाल कुछ अरसे के पहले मैंने तारांकित प्रश्न के रूप में उठाया था जिसका कि नोटिस दिसम्बर महीने में ही दिया गया था। फिर भी मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय ने उस दिन हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। सभा पटल पर जो बातें रखने के लिए सभापति जी ने उनसे अनुरोध किया था वह बातें भी मुझे दुख है कि सभा पटल पर नहीं रखी गई। उस वक्त उनसे यह पूछा गया था कि यह जो आपने गारण्टी दी है कौन क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों के बारे में आप महसूस करते हैं कि अमरीका की पूंजी आनी चाहिए। अगर वह नहीं आयेगी तो हमारा काम नहीं बनेगा। इसके बारे में कोई खबर नहीं दी गई। हर एक आवश्यक जानकारी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी जो यह करार सबसे पहले हुआ 1957 में वह मैंने देखा। उस करार से मुझे पता चला कि यह करार अमरीका का जो म्युचुअल सिक्योरिटी ऐक्ट है 1954 वाला उस की धारा 413 बी (4) के मातहत यह करार किया गया है। अब जब बड़ी विदेशी ताकतों के साथ करार किये जाते हैं और सो भी उनके किसी कानून के मातहत तो मेरा ख्याल है कि कम से कम उस करार के साथ उस कानून का वह हिस्सा जोड़ना चाहिए।

---

*Half-An-hour Discussion.

अमरीका का विदेशी ताकतों के साथ जो करार होता है उनकी पुष्टि जब तक सीनेट के द्वारा नहीं होती है तब तक उस पर अमल नहीं किया जाता है। हमारे संविधान में तो कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है। कभी कभी सभा पटल पर रखते हैं करारों को कभी नहीं रखते हैं। इस बारे में मन्त्री जी ने कहा कि यह करार रक्खा गया है। हो सकता है कि रक्खा गया हो। लेकिन जब तक कि अमरीका के इस कानून का जो सम्बन्धित हिस्सा है वह इस करार के साथ नहीं जोड़ा जाता है उस पर कोई रोशनी नहीं पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण करार किया गया है और इसके काफ़ी ख़तरनाक नतीजे दुनिया के जो अविकसित देश हैं उन देशों में निकल रहे हैं। ऐसी हालत में यह बहुत जरूरी था कि यह म्युचुअल सिक्योरिटी ऐक्ट की जो 413 धारा है उसको सदन के सामने रक्खा जाता। मुझको ऐसा लगता है कि एक ओर सरकार समाजवाद का नारा देती है समाजवाद के सिद्धान्तों को मानती है लेकिन सारे काम ऐसे करती चली जा रही है जिसको कि आर्थिक गुलामी कहा जा सकता है। उस आर्थिक गुलामी का लिबास यह सरकार पहन रही है।

अभी जिस म्युचुअल सिक्योरिटी ऐक्ट के मातहत यह जो गारण्टी देने की बात है उसके पीछे अमरीका का एकमात्र उद्देश्य है। पूंजीवादी सभ्यता और पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था है उसका समूची दुनिया में वह फैलाव करना चाहता है। अगर आप म्युचुअल सिक्योरिटी ऐक्ट के उस हिस्से को पढ़ेंगे तो बिल्कुल इस बात का स्पष्टीकरण हो जायेगा। इसलिए सभा के सामने उसका एक, आध वाक्य मैं पढ़ देता हूं। यह जो धारा 413 है उसका नामकरण इस तरीक़े से किया गया है :—

"Encouragement of free enterprise and private participation.

(a) The Congress recognises the vital role of free enter prise in achieving rising levels of production and standards of living essential to the economic progress and defensive strength of the free world."

पूंजीवाद की जो सभ्यता है और सिद्धान्त है उसके फैलाव के लिए यह सारी बिजनैस गारण्टी का सिलसिला अमरीका ने चालू किया है। उसके सम्बन्ध में अमरीका के राष्ट्रपति प्रेसीडेंट कैनेडी साहब का एक भाषण मैंने देखा था। उस भाषण में उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि निजी पूंजी के लिए अनुकूल फ़िज़ा पैदा करना यह इस कानून का मक़सद है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोई शासकीय और कोई कानूनी क़दम हम उठा रहे हैं। कानूनी क़दम के बारे में उन्होंने कहा कि म्युचुअल सिक्योरिटी ऐक्ट मुनाफ़े को विदेशी मुद्रा में बदलने के बारे में गारण्टी की चर्चा थी। इसी तरह विदेशी पूंजी के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ़ भी गारण्टी म्युचुअल सिक्योरिटी ऐक्ट में थी तो इस गारण्टी का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कैनेडी साहब ने कहा कि इसका क्षेत्र हम बढ़ायेंगे और आगे चल कर उन्होंने कहा कि शासकीय स्तर पर कानून में संशोधन करेंगे। हमारे जो राजदूत हैं हमारे यह अविकसित देशों में जो प्रतिनिधि हैं वह बराबर वहां की सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि निजी पूंजी के लिए, और उसमें निजी पूंजी का उन्होंने कहा है कि आन्तरिक पूंजी और विदेशी पूंजी यानी हिन्दुस्तान में निजी क्षेत्र के लिए यहां की पूंजी के लिए हम क्या क्या काम करें ? इसके बारे में भी अमरीका के राजदूत यह अधिकार रखेंगे कि हमारे ऊपर वह दबाव डालेंगे हम को बताएंगे कि निजी पूंजी के लिए अनुकूल फ़िज़ा कैसे की जाये ? यह कैनेडी साहब के भाषण से बिल्कुल साफ़ होता है और साथ ही साथ उसमें यहां कहा गया है कि कानूनी तौर पर म्युचुअल सिक्योरिटी ऐक्ट में परिवर्तन करने की भी उन्होंने बात कही है। यह कानूनी परिवर्तन क्या हुआ है यह जानने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हमारा जो वाचनालय है उससे इसके बारे में कोई ख़बर

[श्री मधु लिमये]

नहीं मिल सकी । जब यह दो फरवरी को उन्होंने जो समझौता किया जिसमें से एक वाक्य मैं अध्यक्ष महोदय, आप को पढ़ कर सुनाता हूं । मेरा ख्याल है कि अमरीका के राजदूत चैस्टर बोल्स साहब की यह चिट्ठी है । उसमें उन्होंने कहा है :

"After the conclusion of these agreements legislation has been enacted in the USA modifying and augmenting the coverage to be provided to investors by investment guarantees that may be issued by the government of the USA."

अभी कानून में क्या तबदीली हुई है क्या परिवर्तन हुआ है इसका हमें पता नहीं है । तो आखिरकार यह गारण्टी का करार आप काहे के लिए कर रहे हैं ? एक विदेशी मुद्रा अमरीका में भेजने के लिए 1957 में करार हुआ । दूसरी बात यहां राष्ट्रीयकरण वगैरह का कार्यक्रम आप बनायेंगे वह न बने इसके लिए 1957 का करार हुआ ।

अब कुछ और चीज़ों के बारे में कर रहे हैं । दूसरे लैटिन अमरीकी और अफ्रीकी देशों के साथ इस कानून के अन्दर जो करार किये गये हैं उनका मैंने अध्ययन किया । ये करार हैं आन्तरिक क्रान्ति के खिलाफ, बगावत के खिलाफ, अगर अमन चैन बिगाड़ने वाली कोई घटना हो तोड़ फोड़ का काम हो तो उसके खिलाफ़ भी गारण्टी के साथ ही साथ सरकार के द्वारा कोई ऐसा क़दम उटाया जाय जिससे विदेशी पूंजीपतियों को कोई नुकसान हो या घाटा हो तो उसके बारे में भी गारण्टी देने की बात मेरा अन्दाजा है, कि नये कानून के मातहत है । इसमें इन सारी चीज़ो को रक्खा गया है और हमारी सरकार ने भी बिल्कुल हर्ष के साथ इस बात को स्वीकार किया कि यह जो गारण्टी बढ़ाने की बात है उसके मातहत हम आप के साथ नया करार करने के लिए तैयार हैं । सिद्धान्ततः मेरा यह कहना है कि जबकि आप समाजवादी अर्थ व्यवस्था की बात करते हैं तो गारण्टी की जो योजना पूंजीवादी सभ्यता के फैलाने के लिये कायम की गई है उसके अन्दर इस तरीक़े से हिन्दुस्तान जैसा देश कैसे करार कर सकता है । एक तो सिद्धान्त की बात है दूसरे व्यवहार की बात है । यह आर्थिक गुलामी का लिबास पहन कर आप क्या साध रहे हैं ? मैं विदेश मन्त्री से जानना चाहता हूं कि 1957 में अमरीका के साथ यह गारण्टी का करार आपने किया उसके पश्चात् कितनी अमरीकी पूंजी आई ? क्या दूसरे पूंजीपति देशों के साथ ऐसे करार आपने किये जैसे जापान है, पश्चिमी जर्मनी है, ब्रिटेन है । और खास कर ब्रिटेन का उल्लेख इसलिए मैं करना चाहता हूं कि जो नये आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत के अन्दर करीब करीब 450 करोड़ अंग्रेजों की पूंजी लगी हुई है और अमरीका की पूंजी 100 करोड़ से भी कम है । नये आंकड़े प्राप्त करने का मैंने प्रयास किया । वह मिल नहीं पाये । 61–62 के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि उस साल ब्रिटिश पूंजी का इजाफ़ा हुआ है 25 करोड़ और अमरीका की पूंजी बढ़ी 10 करोड़ के आसपास यानी ब्रिटेन के साथ इस तरीक़े का कोई करार नहीं है फिर भी आज ब्रिटेन की पूंजी 450 करोड़ यहां पर है और एक साल में 25 करोड़ बढ़ी है और अमरीका के साथ यहां गारण्टी का करार कर रहे हैं और उसके फलस्वरूप आज भी 100 करोड़ से कम है और एक साल में केवल 10 करोड़ बढ़ी ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालन्दा) : 200 करोड़ है ।

श्री मधु लिमये : ठीक है । जो आंकड़े दिये गये हैं उन्हीं के आधार पर बतला सकता हूं । नये आंकड़े वह बतलायें । हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें दो तीन या चार साल पहले के आंकड़े दे दिये जाते हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में यह जो बहुत धीमी चाल

से, बहुत मन्द गति से अमरीकी पूंजी आ रही है वह अगर नहीं आएगी तो आसमान फटने वाला है। वैसे भी आज हिन्दुस्तान की तरक्की का जहां तक सवाल है आपकी जितनी सारी योजनायें हैं और खास करके द्वितीय योजना के बाद से हम बराबर देख रहे हैं कि योजना के जो उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य आप निश्चित करते हैं, उनको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। आपने कहा था कि तीन पांच साला योजनाओं के अन्दर फी आदमी सालाना आमदनी में इतनी तरक्की हुई, इतना इजाफ़ा हुआ। लेकिन हमने देखा कि पिछली योजना के शुरू में कोई तरक्की नहीं हुई और घुमा फिरा कर मामला डेढ़ दो प्रतिशत तक हो जाता है। 17–18 साल पहले...

श्री जगन्नमणिलाल चौधरी (महुआ) : देश में कोई तरक्की नहीं हुई ? क्या आपको तरक्की हुई नजर नहीं आई...

श्री मधु लिमये : ऐसे ही बीच में आप दखल दे देते हैं। आप जानते तो कुछ हैं नहीं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आजादी के समय विकसित दुनिया और खास करके उत्तर अटलांटकीय देशों के और हिन्दुस्तान जैसे एशिया के अविकसित देश के जीवन स्तर में जो अन्तर था आज स्वयं अमरीका के लोग और सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि यह अन्तर घटने के बजाय 19 साल के बाद और अधिक हुआ है और जिस ढंग से आप अपनी अर्थ व्यवस्था और योजना को चला रहे हैं इधर चार पांच साल के बाद इस स्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि कोई परिवर्तन होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री मधु लिमये : पांच मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बारह मिनट हो गए हैं। मिनिस्टर को भी तो समय चाहिये।

श्री मधु लिमये : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

एक किताब मेरे पास है जिसका नाम है युनाइटेड स्टेट्स लैटिन एमेरीकन रिलेशन्ज। लैटिन अमरीका का इसलिए मैंने उल्लेख किया है कि ये सब अविकसित देश हैं। काफी अमरीका की पूंजी इन देशों में लगाई गई है। अमरीका की पूंजी को आप भी दावत दे रहे हैं, तरह तरह की गारंटियां दे रहे हैं। लेकिन जिन देशों में अमरीका की पूंजी बड़े पैमाने पर आई हैं उनमें राजनीतिक नतीजा क्या निकला है, इसका हमें अध्ययन करना चाहिये। यह अमरीका की किताब है, सिनेट की जानकारी के लिए बनाई गई है और इसके पृष्ठ 344 की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसके बाद दो तीन पृष्ठों में इन चीजों की चर्चा है। दो तीन मुख्य बातें मैं बता देता हूं। इसमें यह कहा गया है कि लैटिन अमरीका में अब तक तीन शक्तियां कारगर रही हैं, एक चर्च, दूसरे जमींदार और तीसरे फौज, सेना। अब नई नई शक्तियां जिसको प्रगतिशील शक्तियां कहा जा सकता है, किसानों की, मजदूरों की, मध्यम वर्ग के लोगों की, वे लैटिन अमरीका में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अमरीका की जो पूंजी लैटिन अमरीका के देशों में है उसका जो पुरानी ताकतें हैं, उनके साथ रिश्ता रहता है। जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहती हैं, उनके साथ हमेशा अमरीकी पूंजी का गठबन्धन रहता है और जब कभी लैटिन अमरीका की जनता आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो बराबर अमरीका की पूंजी और पूंजी की रक्षा के लिए अमरीका की सरकार भी आगे आ जाती है, बराबर प्रतिक्रियावादी शक्तियों का साथ देती है और जो नई ताकतें होती हैं उनके खिलाफ काम करती हैं।

क्यूबा का जो किस्सा है, उससे हम एक सबक सीख सकते हैं। जब कभी कोई प्रगतिशील काम इन देशों में होता है तो उसके ऊपर मुहर लगाई जाती है कि यह कम्युनिस्टों का

[श्री मधु लिमये]

षड्यन्त्र है और गैर कम्यूनिस्ट प्रगतिशील लोगों को भी दबाने की कोशिश अमरीका की सरकार और अमरीका की पूंजी करती है । इसलिए मैं कहूंगा कि आप नागपुरमें और भुवनेश्वर में जो प्रस्ताव पारित करते आए हैं उनको देखो । आपका समाजवाद क्या कहता है ? एक ओर पूंजीवाद की सभ्यता के फैलाव के लिए अमरीका का जो कानून है उसके अन्दर आप करार करते हैं और दूसरी ओर जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है यह भी नौकरशाही और सफेदपोश सभ्यता का प्रतीक बन गया है, फिजूलखर्ची का प्रतीक बन गया है और आपको पैदावार का और उपभोक्ताओं के हितों का भी ख्याल नहीं है । सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरों के सम्बन्ध में जो कानून हैं उनके ऊपर अमल नहीं, पैदावार का ख्याल नहीं । ये सारी चीजें होती हैं निजी क्षेत्र में तो मुनाफ़ाखोरी चलती है, हिस्सेदारों और जनता की लूट चलती है, हमारे निजी क्षेत्र में ये सारी चीजें निहित हैं । ये निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर आप खुद ही आध घंटा ले लेंगे और उनके जवाब के लिए समय नहीं छोड़ेंगे तो उनको अपना स्टेटमेंट सदन पटल पर रखना होगा ।

श्री मधु लिमये : मैं खत्म कर रहा हूं ।

मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी चीजों के बारे में आप पुनर्विचार करें । अमरीका के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वह बढ़ती चली जा रही है । खाद्य के मामले में, आर्थिक सहायता के मामले में, पूंजी के मामले में, हर मामले में वह बढ़ती जा रही है । इसको अगर नहीं रोका जाएगा तो आपका समाजवाद, आपकी स्वतन्त्रता, आपका सब कुछ जो है, वह खत्म हो जाएगा । इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी नीति में बुनियादी तौर पर संशोधन करें ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अभी आधे घंटे की चर्चा में माननीय श्री लिमये . . .

अध्यक्ष महोदय : बोलने का यह अवसर नहीं है । आप सवाल ही केवल पूछ सकते हैं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: मैं सवाल ही पूछ रहा हूं । जो बातें इन्होंने उठाई हैं उन्हें सुन कर बड़ी चिन्ता होती है । मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है, सारी बातें स्पष्ट नहीं की गई हैं, इसलिए गलतफहमी पैदा हो गई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी उचित मौके पर अमरीका से जो पूंजी अब तक आई है या इधर हाल में आने वाली है, उसकी शर्तें क्या हैं, यह बतायेगी ? साथ ही दूसरे देशों से जो पूंजी आई है, उनकी क्या शर्तें रही हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई श्वेतपत्र प्रकाशित आप करेंगे या कोई विस्तृत ब्योरा सदन पटल पर रखेंगे ?

दूसरा स्पष्टीकरण मैं यह चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विचार किया है कि पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी ने जो इस प्रकार की सिफारिश की है कि विदेशों से जब भी ऋण लिया जाए, उसके सम्बन्ध में सदन की अनुमति प्राप्त की जाए ? मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार का फैसला क्या है ।

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): Sir, the subject of discussion is the guarantees which have been given by the United States Government to its own nationals. I must say at the outset that I was greatly impressed by the industry and research of my good friend, Shri Madhu Limaye. I only wish I could say that I was equally impressed with his arguments and conclusions. I am afraid, I am not.

These guarantees which are talked of—I will kive you the details of those

guarantees—are given, I make it quite clear, not by the Government of India to any party but by the United States Government to its own nationals operating in the field of private enterprise and who propose to come out to India. The guarantees are given under three different heads under agreements signed at three different times.

The first guarantee agreement was signed on the 19th September, 1957. That was about convertibility. In other words, if an American citizen operating in the field of private enterprise came and invested his money in India, the Government of the United States guaranteed to that party in the United States that the money which is produced by way of profit or the capital that comes here would be permitted to be converted into some other kind of exchange by the Government of India. In the event of the Government of India saying that this cannot be converted, the Government of the United States would be responsible to its own nationals. In the event of that happening, the Government of the United States would be put in the same position as the private individual was before the guarantee was discharged by performance. One of the conditions would be that if there were any rupees in this country belonging to that American national, it would also be available for the American Government for spending in this country.

The next one was on the 7th December, 1959 against expropriation. In other words, if the Government of India expropriated a national of the United States who was operating in this country, as a private businessman, in that case, the American Government would guarantee to pay to him whatever was the value of the property expropriated here. There might be a difference of opinion. After that, again, the same thing will happen, namely, the American Government would be put into the same position as its own national *vis-a-vis* the Government of India. In that event, if there is any question as to what would be due to that particular person and by substitution to the American Government, that would be a matter of negotiation and failing negotiation, for the purpose of bringing to a finality, there will be arbitration. That is the second Agreement.

The third one was on the 2nd February, 1966 where the American Government guaranteed the United States national against risks that might flow from revolution, insurrection and other reasons. There again, the situation would be that the American Government would compensate its national in the event of its losing something through revolution, war and so on and so forth.

These are the three categories. In this particular case, the last case, the American Government was not seeking to get the same position as the American national in this country. In the first two cases, the American Government had the right to say, "I shall substitute myself in place of the American national in the event of the American Government having to fulfil the contract that I made with my own national in the shape of guarantees". These are the three guarantees that were there. Apart from that, there is no other guarantee. The guarantees are entered into under power given to the American Government, under its own law to which a reference has been made by Mr. Madhu Limaye. I have not read the whole text of the law. I know that particular paragraph but I have not read the whole text of the law. I cannot say what other provisions there are. But for argument's sake, I may make it quite clear, accepting what Mr. Madhu Limaye is saving is correct, namely, that the American Government was of this view that for the purpose of assisting the Private enterprise in that country, it was necessary to give that guarantee, it gave the guarantee. That is not a consideration which could possibly be brought to the door of the Government

[Shri Sachindra Chaudhuri]

of India. The Government of India, for its own purpose, for its own development, for the purpose of assisting its industry and its people, agrees to the investment by with the American party so that the American party comes here and functions for our benefit and not for the benefit of the American Government. Equally, it would be appreciated , as it must be appreciated by any businessman, if I may use this expression without reference to anybody, that when the national of an other nation comes into this country, it is not simply to assist us or to help us, not simply for the benefit of a private individual, not for the benefit of his own health, but also for the purpose of making some profit for himself. So long as we want money and what is outgoing is commensurate with our needs, then, whether it would be in the shape of profits or in the shape of dividends or in the shape of interest, we have got to allow it. We have to pay even if we borrow from our own nationals. Therefore, we have got to pay a certain amount, that is to say, the country has to pay a certain amount and that amount is always looked at with caution and care to see that it is not excessive having regard to the money conditions in this country and the rest of the world.

We have got contracts with different countries of the world. With some of the countries, we probably get a little more favourable consideration. But with others we don't. So far as this particular Agreement is concerned, the obligation of the Government of India, as I explained, is no more than that. A suggestion has been made as to what are the industries or what are the business in which the foreigners, particularly, Americans are allowed to participate. I may tell you at once that generally, we do not allow any foreigner to engage himself in banking, trading or purely commercial activities. Usually, we allow them to set up industries. When we do that, each investment is examined closely to find out whether it fits in with our Plan, whether it fits in with our requirements or whether it does not fit in with our requirements. Each application for setting up of a particular industry is closely examined. There is no general policy or principle whereby we say, beyond what I have told you, that we shall admit every industry which comes, which fulfils these qualifications. What I am trying to say to the House through you is this, that even assuming that there is a corporation which comes from America, or a private individual who comes from America and who is going to set up a particular industry in this country, which may be necessary for this country, that is no reason for making it automatic for that particular party to open its business here or to start its industry here.

Therefore, the first and primary consideration of this Government, as it must be, is the benefit to this country and to its people and to uphold the independence and the sovereignty and the honour of this country and not to sell it to anybody. It pains me that a person of Shri Madhu Limaye's eminence and of his great study finds it in himself to say that any Government in this country composed of Indians could possibly sell itself to financial slavery to any other foreign country. Not for one day could anyone possibly point an accusing finger at us and say that is the purpose with which we have continued in this country and allowed other people to engage in business. Our own necessities are the first and primary consideration.

Where it is necessary to import food, we do import food, but that does not necessarily mean that we are not taking every possible step to see that the situation disappears. Why are we trying to get fertiliser plants into this country? It is only because, taking a long-term view of matters, this country must be self-sufficient in food. We

must produce the wherewithals and the means of producing the food, and, therefore, we are going into these agreements. ,

I assure this House and through you, particularly, my hon. friend opposite that in everyone of these cases, not only a view is taken but a view is taken after consultation amongst ourselves and after having our minds directed on one thing and one thing alone; traditionally—and that is so according to our ethics also—we have the story of how Arjuna had his eyes directed only at the head of the bird on the tree and on nothing else; like that, we have our attention directed only to one thing, namely, what benefit we shall get out of it and how little will go to the other country and when and how we can get those terms. But in doing that, we have got our international obligations. We do not want to go begging. If we have got to borrow, we borrow on terms which are reasonable for ourselves, equally reasonable for others. We are not asking for gifts. We are negotiating for loans. We talk about aid, but aid is in the shape of a loan. A person goes to his bankers when it is necessary; a person goes to his friends when it is necessary. In certain cases, he pays a little more as, for instance, when one borrows money in hundis; in other cases, when, for instance, one borrows on sufficient securities, one pays less than when one goes to the bank. The same thing happens in the international market.

If we have followed that policy and that principle, I submit, and with confidence, that this House should congratulate us and not condemn us for what we have done. We are getting funds because we are going through difficult times. We are negotiating, as you know, and as this House knows, and we are negotiating certain terms for the purpose of putting forward and executing the Fourth Five Year Plan. Whether we have succeded in the Third Five Year Plan or not, whether administratively we have succeeded or not is a matter which certainly can be debated. I do not mind saying that there are fields where my hon. friend would be perfectly right in saying that we have not made as much progress as might be expected, but that does no mean that the need for getting loans, and getting financial assistance for the purpose of making our progress has completely disappeared or because of that we shall sit down quietly under a tree and begin contemplating on the future and contemplating on very fine principles alone and we shall be inactive. If I may remind this House of one thing, it is only those people who do not act that do not commit any mistakes. If we are to act, if we are to go forward, undoubtedly, we make a few mistakes but you have got to view them by looking at the thing in perspective. It is said—I am not suggesting that Shri Madhu Limaye is like that; but that saying comes to my mind—that *'Makshikah vranam ichchanti'*, i.e. a fly always goes and settles on a sore spot. But, after all, if I have a sore in my body, that does not mean that the whole of my body is diseased. Therefore, I ask and beg of the gentlemen in the Opposition and my hon. friends to go into that question.

A question was raised by my hon. friend there whether we shall or we shall not tell this House what the details are. Now, it is getting late, and if my hon. friend wishes, he can come to me; I have got the details of the particular businesses which have been entered into with America, what the amounts are and so on. I do not feel any hesitation in putting that before the House.

So far as the recommendations of the Public Accounts Committee or the Estimates Committee are concerned, they are given due consideration and respect. Having done that, one still has got to take one's decision. After all, our purpose, our task and our duty is to try and discharge the functions entrusted to us to the utmost of our

[Shri Sachindra Chaudhuri]

ability and, we hope, to the satisfaction of Parliament. Therefore, we give every thought to whatever recommendation is made by any body set up by Parliament in the matter of consultation with Parliament, putting papers before Parliament and so on.

Therefore, we are constantly alive to the fact that certain information has got to be given. Whenever requested or when we feel it necessary, we voluntarily put the papers on the Table. Unless it is a trade secret or unless on grounds of public interest it cannot be disclosed or divulged either to you or to the House, we are always willing to disclose whatever we have.

I am specifically referring to the number of businesses where American capital has been employed, and the quantity of American capital that has come in. The different particulars concerning these can be put before the House. They are numerous, but it can be done.

As Shri Limaye has kindly pointed out—I am not in a position to challenge his figures—nearly Rs. 900 crores worth of foreign exchange has been invested in this country and this cannot be in two or three businesses, but in a large number of them. In each case, there is a separate kind of contract. After all, where private enterprise comes in—and that is the subject of the debate—it does so in order to collaborate with private enterprise.

Their agreements are considered very carefully before a licence is given. Each one of these, having regard to the exigencies of that particular industry, will have a slight variation. Here and now I cannot say that all the 99 businesses are like this. There are 99; each one of them has got a particular pattern. But the pattern which I can refer to is that the interest which is given or the dividend which is allowed to go out or the participation which is permitted or the royalties which are allowed to be taken, all these are closely scrutinised and having regard to what the world price is, it is allowed or disallowed.

These are the submissions I wanted to make.

18.43 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 28, 1966|*Vaisakha* 8, 1888 (*Saka*).

GMGIPND—LS II—425 (Ai) LSD—25-7-66—970